न्यायालय सत्र न्यायाधीश, झाँसी।

उपस्थितः- कमलेश कच्छल (उच्चतर न्यायिक सेवा) JO Code No. UP1881

सत्र वाद संख्या- ६९३/ २०२५

सरकार बनाम मोनू चौहान आदि

मु०अ०सं०- ११/ २०२५
धारा- १०९(१) , ३(५) भा०न्या०सं०
एवं धारा- ३/ २५/ २७(१)
आयुध अधिनियम
थाना- सकरार, जिला- झाँसी।

आदेश

दिनांकः- १०. ०६. २०२५

१- पत्रावली पेश हुयी। अभियुक्तगण **१- मोनू चौहान** व **२- वीरेन्द्र सिंह** न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार से उपस्थित। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक उपस्थित।

२- आरोप के बिन्दु पर विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक ने अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपों का वर्णन करते हुए यह कथन किया है कि वह उपरोक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये अभियोग को किस- किस साक्ष्य से प्रमाणित करने की प्रतिस्थापना करते हैं।

३- मैंने इस मामले के अभिलेखों और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों पर विचार किया तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

४- उपर्युक्त विचार तथा सुनवाई के उपरान्त मैं इस मत पर हूँ कि ऐसी उपधारणा करने का प्रथम दृष्टया आधार मौजूद है कि अभियुक्त **१- मोनू चौहान** ने धारा- १०९(१) , ३(५) भारतीय न्याय संहिता- २०२३ एवं धारा- ३/ २५/ २७(१) आयुध अधिनियम तथा अभियुक्त **२- वीरेन्द्र सिंह** ने धारा - १०९(१) , ३(५) भारतीय न्याय संहिता- २०२३ का अपराध कारित किया है और उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत उनका परीक्षण करने का पर्याप्त आधार है।

५- अतएव एतदद्वारा मैं यह निर्देश देती हूं कि अभियुक्त **१- मोनू चौहान** को धारा- १०९(१) , ३(५) भारतीय न्याय संहिता- २०२३ एवं धारा - ३/ २५/ २७(१) आयुध अधिनियम तथा अभियुक्त **२- वीरेन्द्र सिंह** को धारा - १०९(१) , ३(५) भारतीय न्याय संहिता- २०२३ के आरोप से आरोपित किया जाये। अभियुक्तगण को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने लगाये गये आरोप को अस्वीकार किया तथा विचारण की मांग की।

पत्रावली वास्ते अभियोजन साक्ष्य **दिनांक- २४. ०६. २०२५** को पेश हो। साक्षीगण नियमानुसार तलब हो।

(कमलेश कच्छल)

दिनांकः- १०. ०६. २०२५

सत्र न्यायाधीश,
झाँसी।

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, झाँसी।

उपस्थितः- कमलेश कच्छल (उच्चतर न्यायिक सेवा) JO Code No. UP1881

सत्र वाद संख्या- ६९३/ २०२५

सरकार बनाम मोनू चौहान आदि

मु०अ०सं०- ११/ २०२५
धारा- १०९(१) , ३(५) भा०न्या०सं०
एवं धारा- ३/ २५/ २७(१)
आयुध अधिनियम
थाना- सकरार, जिला- झाँसी।

आरोप

मैं, **कमलेश कच्छल** , सत्र न्यायाधीश, झाँसी आप अभियुक्तगण **१- मोनू चौहान** व **२- वीरेन्द्र सिंह** के विरूद्ध निम्नलिखित आरोप लगाती हूं -

यह कि दिनांक- २३. ०१. २०२५ को समय करीब २०. १० बजे, स्थान- ग्राम जावन को जाने वाली नहर की पटरी पर पुलिया के पास , वहद थाना- सकरार, जिला- झाँसी पर आप लोगों ने सामान्य आपराधिक आशय के अग्रसारण में वादी मुकदमा / प्रभारी निरीक्षक अमीराम सिंह की पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से तमंचे से फायर किया। आपके इस कृत्य द्वारा यदि पुलिस टीम के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती , तो आप लोग हत्या के अपराध के दोषी होते। इस प्रकार आप लोगों का यह कृत्य **भारतीय न्याय संहिता- २०२३** की धारा- **१०९(१) सपठित धारा- ३(५)** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है, जिसका संज्ञान लेने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

अतएव मैं एतदद्वारा आप अभियुक्तगण को यह निर्देश देती हूं कि उक्त आरोपों के लिए आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

(कमलेश कच्छल)
दिनांकः- १०. ०६. २०२५ सत्र न्यायाधीश,
झाँसी।

अभियुक्तगण को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया , जिसे मानने से उन्होंने इंकार किया तथा परीक्षण की मांग की।

(कमलेश कच्छल)
दिनांकः- १०. ०६. २०२५ सत्र न्यायाधीश,
झाँसी।

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, झाँसी।

उपस्थितः- कमलेश कच्छल (उच्चतर न्यायिक सेवा) JO Code No. UP1881

सत्र वाद संख्या- ६९३/ २०२५

सरकार बनाम मोनू चौहान आदि

मु०अ०सं०- ११/ २०२५
धारा- १०९(१) , ३(५) भा०न्या०सं०
एवं धारा- ३/ २५/ २७(१)
आयुध अधिनियम
थाना- सकरार, जिला- झाँसी।

आरोप

मैं, **कमलेश कच्छल** , सत्र न्यायाधीश, झाँसी आप अभियुक्त **मोनू चौहान** के विरूद्ध निम्नलिखित आरोप लगाती हूं-

१- यह कि दिनांक- २३. ०१. २०२५ को समय करीब २०. १० बजे, स्थान- ग्राम जावन को जाने वाली नहर की पटरी पर पुलिया के पास , वहद थाना- सकरार, जिला- झाँसी में वादी मुकदमा / प्रभारी निरीक्षक अमीराम सिंह की पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किये जाने पर आपके कब्जे से वादी मुकदमा की पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से तमंचे से फायर किये जाने की घटना में प्रयुक्त १ अदद तमंचा ३१५ बोर , १ जिंदा कारतूस ३१५ बोर, १ खोखा कारतूस ३१५ बोर बरामद हुए, जिन्हें पास रखने का आपके पास कोई लाईसेंस नहीं था। इसके अतिरिक्त जमीन पर पड़ा हुआ १ अदद खोखा कारतूस ३१५ बोर भी बरामद हुआ। इस प्रकार आपका यह कृत्य **आयुध अधिनियम** की धारा- **३/ २५/ २७(१)** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है, जिसका संज्ञान लेने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

अतएव मैं एतदद्वारा आपको यह निर्देश देती हूं कि उक्त आरोप के लिए आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाये।

(कमलेश कच्छल)
सत्र न्यायाधीश,
झाँसी।

दिनांकः- १०. ०६. २०२५

अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया , जिसे मानने से उसने इंकार किया तथा परीक्षण की मांग की।

(कमलेश कच्छल)
सत्र न्यायाधीश,
झाँसी।

दिनांकः- १०. ०६. २०२५